# राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं.–6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, अपैक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक – पैरामेडि.कौं/2017/954 दिनांक : 05-05-2017

## –::कार्यालय–आदेश::–

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल असाधारण बैठक दिनांक 02.05.2017 में अध्यक्ष महोदय की सहमति से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के अन्तर्गत निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) की मान्यता प्रदान हेतु नियम/विनियमों पैरामेडिकल शिक्षा का प्रसार/प्रचार एवं विकास करने हेतु तथा इस क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने हेतु निजी फेडरेशन हेतु विनियम/शर्तें निर्धारित की जाती है :–

1. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) को राजस्थान सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना होगा, जिसका कार्य क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान होगा।
2. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) के पंजीयन के समय राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त अलग–अलग ग्यारह (11) पैरामेडिकल कॉलेजो के स्वामी/अधिकृत सक्षम अधिकारी का सदस्य होना आवश्यक है, तथा सहमति/प्रस्ताव उनके द्वारा दिया जाना आवश्यक है।
3. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त करने हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजो की कुल संख्या का 40 प्रतिशत का समर्थन होना आवश्यक है, तथा 40% राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज के स्वामी/अधिकृत सक्षम अधिकारी को सम्बद्धता का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) के पदाधिकारी अलग–अलग राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज के स्वामी/अधिकृत सक्षम अधिकारी होंगे।
5. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का चयन नियमानुसार करना होगा।
6. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) को मान्यता हेतु पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के नाम व अन्य विवरण रजिस्ट्रार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को प्रस्तुत करने होगें।
7. कोई भी राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज के स्वामी/अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा किसी भी एक निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) से सम्बद्धता ले सकता है, एक से अधिक निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) से सम्बद्धता रखने पर उक्त पैरामेडिकल कॉलेज की सदस्यता रद्द समझी जावेगी।
8. यदि कोई भी निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) को मान्यता मिलने के उपरान्त राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एवं पैरामेडिकल शिक्षा के विरूद्ध कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसकी मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
9. नये एवं पूर्व में मान्यता प्राप्त निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) की मान्यता हेतु प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आवेदन एवं नवीनीकरण कराना होगा।
10. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) को केवल पैरामेडिकल शिक्षा का प्रसार/प्रचार एवं विकास का ही संघ विधान–पत्र होना आवश्यक है।
11. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) के राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता मिलने के उपरान्त संस्था को पैरामेडिकल कौंसिल के नियम/विनियम एवं समय–समय पर मिलने वाले दिशानिर्देशो के अनुसार कार्य करना होगा।
12. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के निर्णय मान्य होगें।

13. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नियमो/विनियमो के विरूद्ध ना तो कोई लिखित/मौखिक बयान जारी करेगी और ना ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगी।
14. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की नितियों की सुसंगतता अनुसार कार्य करेगी।
15. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) के सदस्य/पदाधिकारी राजस्थान के निवासी होना आवश्यक है।
16. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार/प्रसार करने से पूर्व रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर से सहमति/अनुमति लेना आवश्यक होगा।
17. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत जिससे राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एवं राज्य सरकार के अधिकारो का हनन हो रहा हो या पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के सबंध में गलत प्रचार/प्रसार किया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के साथ मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
18. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) द्वारा किसी भी आपत्ति हेतु प्रथम आवेदन रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा निस्तारण किया जायेगा यदि रजिस्ट्रार के निर्णय से संतुष्ट ना होने पर 15 दिवस में द्वितीय आवेदन अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल का निर्णय सर्वमान्य होगा।
19. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर से सम्बन्धित किसी भी वाद का कार्यक्षेत्र जयपुर ही होगा।
20. निजी सोसायटी/संस्थान (फैडरेशन) को कौंसिल से मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

रजिस्ट्रार

क्रमांक – पैरामेडि.कौं/2017/954 दिनांक : 5-5-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, निदेशालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. समस्त पैरामेडिकल कॉलेज।
8. काउंसिलिंग सीट, संस्थापन सीट, लेखा शाखा, मुख्यालय।
9. सर्वर रूम, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार